इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 295]   भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 जुलाई 2014—आषाढ़ 24, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2014

क्र. एफ. ए 1-8-2014-एक(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में,—

(1) विद्यमान शीर्षक "अठारह" तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"अठारह —नगरीय विकास एवं पर्यावरण".

(2) अनुक्रमांक "बत्तीस—आवास और पर्यावरण" का लोप किया जाए,

2. अनुसूची में,—

(1) विद्यमान शीर्षक "अठारह—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग" तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"अठारह—नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग"

(2) शीर्षक "अठारह—नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग" के अधीन,

(एक) भाग (अ) में, शीर्षक—विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अधीन अनुक्रमांक 1 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

"1-क. मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 34 सन् 1984) के क्रियान्वयन, जिसमें पट्टे के दस्तावेजों के वितरण विभिन्न अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित की जा रही गंदी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजनाओं का परिवीक्षण नगरीय महायोजनाओं और उससे संबंधित किन्हीं अन्य क्रियाकलापों में पारिणामिक संशोधन सम्मिलित है, को छोड़कर विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय."

भाग एक—पर्यावरण

1. राज्य पर्यावरण नीति तथा पर्यावरणात्मक योजना, रक्षोपायों, संरक्षण और समन्वित विकास से संबंधित सभी विषय.
2. नगर तथा ग्राम निवेश.
3. वास्तुकला.
4. सभी प्रकार के प्रदूषण तथा उनका निवारण.
5. नगरीय विकास, गंदी बस्ती उन्मूलन सुधार योजनाओं को छोड़कर.

भाग दो—गृह निर्माण

1. राज्य की नगरीय गृह निर्माण नीति से संबंधित समस्त विषय तथा नगरीय गृह निर्माण योजनाओं का कार्यान्वयन एवं समन्वय.
2. आवास स्थान को भाड़े या उप-भाड़े पर देना जिसमें उसका अर्जन तथा अधिग्रहण सम्मिलित है.
3. कामन पूल के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए निधियों का आवंटन तथा प्रशासकीय अनुमोदन.

भाग तीन

1. राजधानी परियोजना तथा उसके प्रशासन से संबंधित समस्त विषय.".

(दो) भाग (आ) में, शीर्षक—विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियमों और नियमों के अधीन अनुक्रमांक 11 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

"12. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973).

13. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (केन्द्रीय अधिनियम, 1974 का 6).

14. मध्यप्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम, 1961 (क्रमांक 41 सन् 1961).

15. जल (प्रदूषण निरोध तथा नियंत्रण) उप-कर अधिनियम, 1977 (केन्द्रीय अधिनियम, 1977 का 3).

16. मध्यप्रदेश भूमि उपयोग विनियमन अधिनियम, 1948.

17. मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972 (क्रमांक 3 सन् 1973).

18. मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 1976 (क्रमांक 17 सन् 1976).

19. मध्यप्रदेश नगर तथा परिमा नियंत्रण अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1960).

20. मध्यप्रदेश अर्जन अधिनियम, 1948.

21. अचल संपत्ति (अधिग्रहण तथा अर्जन) अधिनियम, 1952.

22. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012.

23. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975.''.

(तीन) भाग (इ) में, शीर्षक ''विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय'' के अधीन अनुक्रमांक 1 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''2. नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय.

3. पर्यावरण आयुक्त कार्यालय.

4. नगरीय परियोजना संचालनालय.

5. राजधानी परियोजना प्रशासन.''.

(चार) भाग (ई) में, शीर्षक ''अधिनियम के अधीन गठित मण्डल तथा निगम'' के अधीन अनुक्रमांक 4 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''5. समस्त नगर विकास प्राधिकरण तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण.

6. मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल.

7. पर्यावरणात्मक तथा समन्वयन संगठन.

8. मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ.

9. मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल.

10. राज्य कर्मचारी आवास निगम.''.

(पांच) भाग (ऊ) में, शब्द ''कुछ नहीं'' के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''1. नगर तथा ग्राम निवेश तृतीय श्रेणी लिपिकवर्गीय तथा अलिपिकीयवर्गीय सेवा नियम, 1972.

2. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश योजना राजपत्रित (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 1977.

3. मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण सेवा (अधिकारी तथा सेवक) भर्ती नियम, 1988.''.

(3) शीर्षक ''दो-गृह विभाग'' के अधीन, भाग (ई) में, शब्द ''कुछ नहीं'' के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''1. आपदा प्रबंध संस्थान.''.

(4) शीर्षक ''बत्तीस—आवास और पर्यावरण विभाग'' तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.